संख्या- 165 /2021/ 1602 /चार-2021-24(बजट)/2014 टीसी

प्रेषक ,

विनय श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त अपने पत्र संख्या-1296/सं0नि0-20(23-कै0आ0अ0)/2021-22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 तथा शासनादेश संख्या- 122/2021/1159/चार-2021-66(बजट) /2007 दिनांक 08 जुलाई, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में द्वितीय किश्त हेतु रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्कतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

5- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

7- ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी लखनऊ को पूर्व वर्षो में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षो में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -आयोजनेत्तर-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-05-कैफी आजमी अकादमी को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-768 /दस-2021 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 165 /2021/ 1602 (1)/चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- महासचिव, ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी गुरूद्धारा रोड पेपर मिल कालोनी लखनऊ
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।